

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से	प्रस्तुतिकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	454/2023	राधे श्याम पंवार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।	श्री अमन माहेश्वरी	06.11.2023
2.	455/2023	हेमंत सिंह चौहान	5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर।		

आदेश की दिनांक : 23.11.2023

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित सभी अपीलों में अन्तर्वलित तथ्य एवं बिन्दु समान हैं, अतः इन अपीलों की ग्राह्यता का बिन्दु इस एकल आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना इस अधिकरण ने न्यायहित में उचित समझा है। अपील संख्या 454/2023 (राधेश्याम पंवार बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य) को अग्रग अपील (Leading appeal) मानते हुए इस अपील के तथ्यों का विवेचन/विश्लेषण इस आदेश में किया जा रहा है।
2. अपीलार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर शिक्षा विभाग में आदेश दिनांक 11.02.1992 को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत हुई थी और उसे अध्यापक ग्रेड-III के पद पर आदेश दिनांक 04.12.1997 को समायोजित किया गया। उनका कथन है कि उसे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वेतनमान 4500-7000 (9ए) दिया गया जबसे वह अध्यापक ग्रेड-III के पद पर कार्य कर रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 24588/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.

07.2009 तथा डीबी रेश्टोरेशन संख्या 219/2019 राज्य व अन्य बनाम हरफुल सिंह व अन्य में अन्तिम रूप से आदेश पारित कर निर्णय दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड-III के वेतनमान पाने का अधिकारी है। जबकि अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण कर चुका है। अधिकरण द्वारा भी इस तरह के कई मामलों में आदेश पारित किया जा चुका है। जो अनुलग्नक-4 से प्रकट होता है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें की अपीलार्थी को स्वीकृत अध्यापक ग्रेड-III का वेतनमान 4500-7000 (9ए) में सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें और सभी वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि के लाभ तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिये जाने का आदेश फरमाया जावें एवं पूर्व में भुगतान राशि से वसूली नहीं की जावें।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और उन्हें अध्यापक-ग्रेड-III के पद पर समायोजित किया जा चुका है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा उनकी शुरुआती बेसिक पे 2800 रुपए नियत की गई एवं उसे 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है। अतः अपील निरस्त फरमाई जावें।
4. हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।
5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.02.1992 (अनुलग्नक-1) द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर हुई थी। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक ग्रेड-III के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजन आदेश दिनांक 04.12.1997 (अनुलग्नक-2) के द्वारा किया गया। अपील में स्वीकार किया कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड-III की वेतन श्रृंखला 4500-7000 (9ए) उसे अध्यापक ग्रेड तृतीय में कार्य करने से स्वीकार की जा चुकी है। अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 से अध्यापक ग्रेड तृतीय को नई वेतन श्रृंखला 4500-7000 (9ए) स्वीकृत की गई है। साथ ही, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान भी अपीलार्थी को एल-13 मेट्रिक्स में स्वीकार कर भुगतान किया जा चुका है, परन्तु अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस भुगतान की गई राशि को वसूल करने का अंदेश व्यक्त किया है। यद्यपि अपील के साथ प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अपीलार्थी से वूसली करने संबंधी विषयक कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 2458/2003) में आदेश दिनांक 03.07.2009 (अनुलग्नक-4) द्वारा यह निर्णित किया गया है कि :-

“considered the submissions of learned counsel for the parties and perused the notification dated 7.8.1998 by which a new pay scale no.9A has been inserted and it has been clearly mentioned that this new pay scale 9A is to be inserted below pay scale 9. Therefore, the contention of the petitioners that there exist no pay scale 9 is not sustainable. However, the petitioners are admittedly appointed on the post of teacher grade-III and there is only one pay scale for teacher grade-III and that pay scale is 9A as is clear from notification dated 7.8.1998 whereby for teacher grade-III, the pay scale has been increased from 4000-600(9) to Rs.4500-7000(9A) and respondents failed to show that there can be two pay scales for teacher grade- III and that is on the basis of the source of appointment.

In view of the above reasons, the writ petition of the petitioners is allowed and it is held that petitioners are entitled to the pay scale of Rs.4500-7000 (9A) in view of notification dated 7.8.1998 irrespective of the fact that there exist pay scale no.9. The petitioner be granted all the consequential benefits in the light of this decision within a period of three months from today. ”

इस याचिका के तथ्य प्रस्तुत अपील के समान ही है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई एवं उसे बाद में अधिशेष होने पर अध्यापक ग्रेड-III के पद के विरुद्ध समायोजित किया गया था।

अधिकरण द्वारा भी समान प्रकरणों में अध्यापक ग्रेड-III के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिये जाने हेतु आदेशित किया है (अनुलग्नक-5)। उक्त निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा आगे अपील/रिट दायर नहीं करने का निर्णय लिया है (अनुलग्नक-6)।

प्रस्तुत अपील एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला एवं वार्षिक वेतन वृद्धि तथा चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा उसे स्वीकृत वेतनमान/चयनित वेतनमान की वसूली नहीं करने एवं अध्यापक ग्रेड तृतीय को देय समस्त परिलाभों का अनुतोष चाहा है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक पद के लिए दो वेतनमान नहीं हो सकती अर्थात् समान पद समान वेतनमान का सिद्धांत लागू होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियमानुसार समायोजित किया गया है। अतः उक्त विवेचित विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड-III को देय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ नियमानुसार प्राप्त करने का

अधिकारी है। अतः इस अनुरूप जारी स्वीकृतियों के विरुद्ध अपीलार्थी से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जावे।

7. मूल आदेश अपील संख्या 454/2023 (राधेश्याम पंवार बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अन्य) में रखा जावे एवं इस आदेश की तालिका के क्रम संख्या 2 अपील की पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्नक की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य